भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 195
(जिसका उत्तर मंगलवार, 01 दिसंबर, 2015 को दिया गया)

<u>निवेशकों की शिकायतों का निवारण</u>

195. श्री बी. के. हरिप्रसाद :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेशकों की शिकायतों के निवारण हेतु कंपनियों की स्वतंत्र क्रियाविधि से वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं:
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार निवेशकों की शिकायतों का निवारण न होने पर कंपनियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्रवाई की गई है; और
(घ) क्या अनेक कंपनियां जो छोटे निवेशकों की बकाया धनराशियों की भुगतान न करने की चूककर्ता हैं, वे अभी भी स्टॉक एक्सचेंज में सक्रिय रूप से कारोबार कर रही है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (ग): कारपोरेट कार्य मंत्रालय में रखे गए निवेशक शिकायत आकड़ों के अनुसार वर्ष 2012-13 में 319 कंपनियों, 2013-14 में 420 कंपनियों और 2014-15 में 2414 कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई प्रारंभ की गई है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(घ): स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर लाभांश/ब्याज की गैर-अदायगी के लिए सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11ख/15ग के अधीन कार्रवाई की जा सकती है।

*****